


1	2	3	4	5
7	श्री अशोक कुमार 3190/वैशाखी/17.08.62	अधीक्षण अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग	विभागीय मुख्यालय में योगदान देंगे।	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. उपरोक्त सभी पदाधिकारी नवपदस्थापन कार्यालय का प्रभार ग्रहण कर मुख्यालय को सूचित करेंगे।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(प्रदीप कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 3485-

रॉची, दिनांक :- 30-10-19


प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा रॉची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं कार्यालय अभिलेख हेतु इसकी 25 (पचीस) प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।


(प्रदीप कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 3485-

रॉची, दिनांक :- 30-10-19


प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(प्रदीप कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 3485-

रॉची, दिनांक :- 30-10-19

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियाँ में)/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता (ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र)/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सभी पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ एवं इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(प्रदीप कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव (प्र.)